


# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत ।


## विज्ञप्ति

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पत्रांक 2412/यू0के0सालसा/2024 के अनुपालन में जनपद चम्पावत में "एक गांव एक निःशुल्क पी0एल0वी0/अधिकार मित्र" अभियान के तहत प्रत्येक गांव में से एक-एक निःशुल्क पी0एल0वी0/अधिकार मित्र (प्रो बोनो/पी0एल0वी0) नियुक्त किया जाना है। जिसमें जिले के प्रत्येक गांव में से कोई भी इच्छुक व्यक्ति या ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य/वन पंचायत सदस्य/समाजसेवी द्वारा आवेदन किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत, द्वारा जो भी निःशुल्क पी0एल0वी0/अधिकार मित्र (प्रो बोनो/पी0एल0वी0) के रूप में नियुक्त किये जाएंगे, उनके द्वारा अपने गांव में निःशुल्क कानूनी सहायताएं एवं कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी तथा इस कार्य के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा उनको सहयोग किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार संलग्न प्रारूप में आवेदन भरकर डाक या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत में सीधे उपस्थित होकर दिनांक **02.01.2025** तक आवेदन जमा कर सकते हैं।

  
(भवदीप रावते),  
सचिव/सिविल जज(एस0डी0),  
चम्पावत।  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
चम्पावत

**नोट—** संपादक अमर उजाला, समाचार पत्र, को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञापन को प्रकाशित करवायें तथा कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत को बिल उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

  
(भवदीप रावते),  
सचिव/सिविल जज(एस0डी0),  
चम्पावत।  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
चम्पावत

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत

आवेदन पत्र:- निःशुल्क पी0एल0वी0 / अधिकार मित्र (प्रो बोनो पी0एल0वी0) के हेतु

- 1- आवेदक का नाम-.....
- 2- पिता का नाम- .....
- 3- जन्म तिथि- .....
- 4- शैक्षिक योग्यता- .....
- 5- स्थाई पता- .....
- .....
- .....
- 6- पत्र व्यवहार का पता-.....
- .....
- .....
- 7- फोन नम्बर- .....
- 8- ई-मेल आई डी0- .....
- 9- स्थान- .....
- 10-दिनांक- .....

हस्ताक्षर आवेदक